

श्रीमान जी,

No. 2472-R.T.I./Col/N.W. Distt.
Dt. 03/08/17

जन सूचना अधिकारी
DLP office North West District
Delhi

श्रीमान जी

सूचना अधिकार 2005 के तहत निम्न
लिखित जानकारी उपलब्ध कराये

1. थाना क्षेत्र से PCR call होने पर सम्बन्धित वीट
अफसर के साथ दूसरी वीट के अफसर को PCR call
से सम्बन्धित घटनास्थल पर जाना चाहिए अथवा
नहीं जाना चाहिए

2. Rape पीडित की रिपोर्ट मिलने पर थानाध्यक्ष
(S.H.O) कितने समय में FIR दर्ज करता है

3. Rape पीडित की रिपोर्ट को जांच के नाम
पर पैन्डिंग रख सकते हैं यदि हां तो कितने समय
तक पैन्डिंग रख सकते हैं

आधी

Resend
bu rep/6/6/6/6

योगेश कुमार S/o राजवीर सिंह

% B-311 गली नं. 2

बाबा कालोनी, बुराड़ी

दिल्ली - 84

Mob. No. 9716682541